सप्तदश माला, खंड 24, अंक 24 | बुधवार, 5 अप्रैल, 2023
15 चैत्र, 1945 (शक)

लोक सभा वाद-विवाद

(हिन्दी संस्करण)

ग्यारहवां सत्र

(सत्रहवीं लोक सभा)

(खंड 24 में अंक 21 से 25 तक हैं)

लोक सभा सचिवालय

नई दिल्ली

सम्पादक मंडल

उत्पल कुमार सिंह
महासचिव
लोक सभा

ममता केमवाल
संयुक्त सचिव

अमर सिंह
निदेशक

बसन्त प्रसाद
संयुक्त निदेशक

मदन कुमार मिश्र
उप निदेशक

© 2023 प्रतिलिप्यधिकार लोक सभा सचिवालय

लोक सभा सचिवालय की पूर्व स्वीकृति के बिना किसी भी सामग्री की न तो नकल की जाए और न ही पुन: प्रतिलिपि तैयार की जाए, साथ ही उसका वितरण, पुन: प्रकाशन, डाउनलोड, प्रदर्शन तथा किसी अन्य कार्य के लिए इस्तेमाल अथवा किसी अन्य रूप या साधन द्वारा प्रेषण न किया जाए, यह प्रतिबंध केवल इलेक्ट्रॉनिक, मैकेनिकल, फोटोप्रति, रिकॉर्डिंग आदि तक ही सीमित नहीं है। तथापि, इस सामग्री का केवल निजी, गैर-वाणिज्यिक प्रयोग हेतु प्रदर्शन, नकल और वितरण किया जा सकता है बशर्ते कि सामग्री में किसी प्रकार का परिवर्तन न किया जाए और सभी प्रतिलिप्यधिकार (कॉपीराइट) तथा सामग्री में अंतर्विष्ट अन्य स्वामित्व संबंधी सूचनाएं सुरक्षित रहें।

लोक सभा वाद-विवाद के हिन्दी संस्करण का अनुवाद कृत्रिम मेधा (Artificial Intelligence**) आधारित सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन की सहायता से किया गया है और सटीक अनुवाद उपलब्ध कराने के लिए यथोचित प्रयास किए गए हैं। तथापि,** हिन्दी संस्करण में सम्मिलित मूल हिन्दी कार्यवाही ही प्रामाणिक मानी जाएगी। इसमें सम्मिलित मूलत: अंग्रेजी और अन्य भाषाओं में दिए गए भाषणों का हिन्दी अनुवाद प्रामाणिक नहीं माना जाएगा। पूर्ण प्रामाणिक संस्करण के लिए कृपया लोक सभा वाद-विवाद का मूल संस्करण देखें।

विषय-सूची

सप्तदश माला, खंड 24, ग्यारहवां सत्र, 2023/1945 (शक)
अंक 24, बुधवार, 5 अप्रैल, 2023/ 15 चैत्र, 1945 (शक)

विषय	पृष्ठ संख्या
प्रश्नों के मौखिक उत्तर	
तारांकित प्रश्न संख्या 461	8
प्रश्नों के लिखित उत्तर	
तारांकित प्रश्न संख्या 462 से 480	9
अतारांकित प्रश्न संख्या 5291 से 5520	9

सभा पटल पर रखे गए पत्र 10

लोक लेखा समिति

61वें से 65वां प्रतिवेदन 17

मंत्री द्वारा वक्तव्य

पंचायती राज मंत्रालय से संबंधित अनुदान की माँगों (2022-23) के बारे में ग्रामीण विकास और पंचायती राज संबंधी स्थायी समिति के 24वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों के कार्यान्वयन की स्थिति

श्री कपिल मोरेश्वर पाटील 18

तटीय जलकृषि प्राधिकरण (संशोधन) विधेयक, 2023 19

नियम 377 के अधीन मामले 20-43

(एक) मध्य प्रदेश एवं उत्तर प्रदेश की सीमाओं के समीप स्थित राजघाट बांध क्षेत्रों के वाटर स्पोर्ट्स जोन का विकास किए जाने के बारे में

श्री कृष्णपालसिंह यादव 20

(दो) संबलपुरी भाषा को संविधान की आठवीं अनुसूची में शामिल किए जाने के बारे में

श्री सुरेश पुजारी 21

(तीन) कोविड -19 वैश्विक महामारी के बाद हृदयाघात के कारण होने वाली मौतों के बढ़ते मामलों की जांच के लिए एक चिकित्सा अनुसंधान समिति का गठन किए जाने की आवश्यकता

श्री पी. पी. चौधरी 22

(चार) महाराष्ट्र में नार-पार-गिरणा लिंक परियोजना के निर्माण एवं कार्यान्वयन के बारे में

श्री उन्मेश भैयासाहेब पाटिल 23

(पाँच) ओडिशा में किसानों से धान की खरीद के बारे में

श्रीमती संगीता कुमारी सिंह देव 24

(छह) झारखंड और आसपास के राज्यों में हाथी गलियारे बनाए जाने की आवश्यकता

श्री संजय सेठ 25

(सात) रायपुर संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में सीमेंट कारपोरेशन ऑफ इण्डिया के बंद पड़े सीमेंट प्लांट की भूमि का औद्योगिक प्रयोजन हेतु उपयोग किये जाने की आवश्यकता

श्री सुनील कुमार सोनी 26

(आठ) पलामू संसदीय निर्वाचन क्षेत्र के सभी गांवों और बस्तियों का विद्युतीकरण किए जाने की आवश्यकता

श्री विष्णु दयाल राम 27

(नौ) सेबी द्वारा सहारा समूह के निवेशकों का पैसा वापस किये जाने के बारे में

श्री विजय बघेल 27

(दस) मध्य प्रदेश के भोपाल में एम्स में स्वास्थ्य सुविधाओं में सुधार किये जाने की आवश्यकता

श्री रमाकांत भार्गव 28

(ग्यारह) शिवसागर, असम में प्रतिष्ठित पर्यटन स्थलों का विकास किए जाने के बारे में

श्री तपन कुमार गोगोई 29

(बारह) रेलगाड़ी संख्या 22197/22198 और 19305/19306 के मार्ग में परिवर्तन किए जाने की आवश्यकता

श्री विवेक नारायण शेजवलकर 30

(तेरह) हरियाणा के जींद में एक पासपोर्ट सेवा कार्यालय स्थापित किए जाने की आवश्यकता

श्री रमेश चंद्र कौशिक 31

(चौदह) गोरखपुर संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में रेलवे स्टेशनों पर रेलगाड़ियों के ठहराव को बहाल किए जाने की आवश्यकता

श्री रवि किशन 32

(पद्रह) संविदा कर्मचारियों के लिए राष्ट्रीय नीति बनाए जाने की आवश्यकता

श्री विनोद कुमार सोनकर 33

(सोलह) जम्मू और कश्मीर सरकार के ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभागों के सामुदायिक सूचना केंद्र संचालकों की दुर्दशा के बारे में

श्री अब्दुल खालेक 34

(सत्रह) केरल में वंदे भारत रेलगाड़ियां चलाए जाने के बारे में

श्री के. मुरलीधरन 35

(अठारह) तिरुवन्नामलाई संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में आदिवासियों के उत्थान के लिए परियोजनाओं के बारे में

श्री सी. एन. अन्नादुराई 36

(उन्नीस) अरुलमिगु तीर्थगिरिश्वर मंदिर को प्रसाद योजना में शामिल किए जाने के बारे में

डॉ. डी.एन.वी. सेंथिलकुमार एस. 37

(बीस) अग्निपथ जैसी योजना का अन्य सरकारी विभागों में विस्तार किए जाने के बारे में

श्री श्रीधर कोटागिरी 38

(इक्कीस) भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र (बीएआरसी) और राष्ट्रीय केमिकल्स एंड फर्टिलाइजर्स लिमिटेड (आर.सी.एफ.) में अनुसूचित जाति/अनुसूचितजनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग के अभ्यर्थियों को आरक्षण का लाभ प्रदान किए जाने के बारे में

श्री राहुल रमेश शेवाले 39

(बाईस) बिहार के भागलपुर में रेलवे का एक मंडल कार्यालय स्थापित किए जाने और भागलपुर से राजधानी या वंदे भारत रेलगाड़ी चलाए जाने की आवश्यकता

श्री अजय कुमार मंडल 40

(तेईस) उत्तर प्रदेश में पुरानी पेंशन योजना बहाल किए जाने की आवश्यकता

श्रीमती संगीता आज़ाद 41

(चौबीस) एफ.सी.आई. के गोदामों को किराए पर दिए जाने की नीति की समीक्षा किए जाने की आवश्यकता

श्री पी.आर. नटराजन 42

(पच्चीस) आदिवासी लोगों के लिए एक राष्ट्रीय आयोग का गठन किए जाने की आवश्यकता

श्री नव कुमार सरनीया 43

लोक सभा के पदाधिकारी

अध्यक्ष

श्री ओम बिरला

सभापति तालिका

श्रीमती रमा देवी

डॉ.(प्रो.) किरिट प्रेमजीभाई सोलंकी

श्री राजेन्द्र अग्रवाल

श्री कोडिकुन्नील सुरेश

श्री ए. राजा

श्री पी.वी. मिधुन रेड्डी

श्री भर्तृहरि महताब

श्री एन. के. प्रेमचन्द्रन

डॉ. काकोली घोष दस्तीदार

महासचिव

श्री उत्पल कुमार सिंह

लोक सभा वाद-विवाद

लोक सभा

<u>बुधवार, 5 अप्रैल, 2023/ 15 चैत्र, 1945 (शक)</u>

लोक सभा पूर्वाह्न ग्यारह बजे समवेत हुई।

[**श्री राजेन्द्र अग्रवाल** *पीठासीन हुए*]

[1]प्रश्नों के मौखिक उत्तर

[हिन्दी]

माननीय सभापति : प्रश्न काल ।

प्रश्न संख्या 461 श्री श्याम सिंह यादव जी।

... (व्यवधान)

पूर्वाह्न11.01 बजे

इस समय श्री बी. माणिक्कम टैगोर, श्री हिबी ईडन और कुछ अन्य माननीय सदस्य आगे आकर सभा पटल के निकट खड़े हो गए।

... (व्यवधान)

माननीय सभापति : प्लीज बैठिए। क्वेश्चन आवर चलने दीजिए। क्वेश्चन आवर हमेशा बहुत महत्वपूर्ण होता है।

... (व्यवधान)

माननीय सभापति: कृपया अपने-अपने स्थान पर वापस जाएं।

... (व्यवधान)

---

[1] **प्रश्नों और उनके उत्तरों के लिए ग्रंथालय में रखी गई वाद-विवाद के हिन्दी संस्करण की मास्टर-प्रति का संदर्भ लें। प्रश्नों और उनके उत्तरों के संबंध में अधिक जानकारी हेतु आप इस लिंक पर जाएं।** https://sansad.in/ls/hi/questions/questions-and-answers

इस लिंक के खुलने के बाद लोक सभा का चयन करें, फिर सत्र का चयन करें तत्पश्चात् फिल्टर में जाकर वाद-विवाद की तारीख का चयन करने के पश्चात् लागू करें।

माननीय सभापति : क्वेश्चन आवर चलने दीजिए। माननीय सदस्यों के बहुत सारे महत्वपूर्ण प्रश्न हैं। माननीय मंत्री जी उनके उत्तर देते हैं। यह आप जानते हैं। क्वेश्चन आवर हमेशा बहुत महत्वपूर्ण होता है। कृपया करके आप सब अपने-अपने स्थान पर वापस जाइए।

... (व्यवधान)

<u>प्रश्नों के लिखित उत्तर</u>

**(तारांकित प्रश्न सं. 462 से 480 तथा
अतारांकित प्रश्न सं. 5291 से 5520)**

[हिन्दी]

माननीय सभापति : सभा की कार्यवाही अपराह्न दो बजे तक के लिए स्थगित की जाती है।

<u>पूर्वाह्न</u> <u>11.02</u> **<u>बजे</u>**

तत्पश्चात लोकसभा अपराह्न दो बजे तक के लिए स्थगित हुई।

अपराह्न 02.00 बजे

लोक सभा अपराह्न दो बजे पुन: समवेत हुई।

(श्रीमती रमा देवी *पीठासीन हुईं*)

... (व्यवधान)

[हिन्दी]

माननीय सभापति : माननीय सदस्यगण, कुछ विषयों पर स्थगन प्रस्ताव के नोटिस प्राप्त हुए हैं । माननीय अध्यक्ष जी ने किसी भी स्थगन प्रस्ताव के नोटिस को स्वीकृति प्रदान नहीं की है ।

... (व्यवधान)

अपराह्न 02.01 बजे

इस समय श्री बी. माणिक्कम टैगोर, श्री बालूभाऊ उर्फ सुरेश नारायण धानोरकर, श्री हिबी ईडन और कुछ अन्य माननीय सदस्य आगे आकर सभा पटल के निकट खड़े हो गए।

अपराह्न 02.01½ बजे

सभा पटल पर रखे गए पत्र

माननीय सभापति : अब पत्र सभा पटल पर रखे जाएंगे ।

आइटम नंबर 2 – डॉ. जितेन्द्र सिंह जी ।

… (व्यवधान)

विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय के राज्य मंत्री; पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के राज्य मंत्री; प्रधानमंत्री कार्यालय में राज्य मंत्री; कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री; परमाणु ऊर्जा विभाग में राज्य मंत्री तथा अंतरिक्ष विभाग में राज्य मंत्री (डॉ. जितेन्द्र सिंह) : माननीय सभापति महोदया, मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं:-

(1) अखिल भारतीय सेवाएं अधिनियम, 1951 की धारा 3 की उप-धारा (2) के अंतर्गत भारतीय प्रशासनिक सेवा (परिवीक्षा) संशोधन नियम, 2023 जो 13 मार्च, 2023 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं. सा.का.नि. 177(अ) में प्रकाशित हुए थे, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखी गयी, देखिए संख्या एल. टी. 9443/17/23]

(2) संविधान के अनुच्छेद 320 के खंड (5) के अंतर्गत संघ लोक सेवा आयोग (परामर्श से छूट) संशोधन विनियम, 2023 जो 13 फरवरी, 2023 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं. सा.का.नि. 92(अ) में प्रकाशित हुए थे, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखी गयी, देखिए संख्या एल.टी. 9444/17/23]

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री; कोयला मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा खान मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दानवे रावसाहेब दादाराव) : माननीय सभापति महोदया, मैं रेल अधिनियम, 1989 की धारा 199 के अंतर्गत रेल रेड टैरिफ (दूसरा संशोधन) नियम, 2023 जो 27 मार्च, 2023 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि.225(अ) में प्रकाशित हुए थे, की एक प्रति (हिंदी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखता हूं।

[ग्रंथालय में रखी गयी, देखिए संख्या एल.टी. 9445/17/23]

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संस्कृति मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अर्जुन राम मेघवाल) : माननीय सभापति महोदया, मैं आपकी अनुमति से, श्री राजीव चन्द्रशेखर जी की ओर से, कौशल विकास और उद्यमशीलता मंत्रालय के वर्ष 2023-2024 के निर्गत-परिणामी अनुश्रवण रूपरेखा दस्तावेज की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखता हूं।

[ग्रंथालय में रखी गयी, देखिए संख्या एल.टी. 9446/17/23]

[अनुवाद]

वस्त्र मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती दर्शना विक्रम जरदोश): महोदया, मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखती हूं:-

(1) कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 394 की उपधारा 1(ख) के अंतर्गत निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):-

(एक) हैंडीक्रफ्ट्स एण्ड हैंडलूम्स एक्सपोर्ट कॉर्पोरेशन ऑफ इण्डिया लिमिटेड, नई दिल्ली के वर्ष 2020-2021 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) हैंडीक्रफ्ट्स एण्ड हैंडलूम्स एक्सपोर्ट कॉर्पोरेशन ऑफ इण्डिया लिमिटेड, नई दिल्ली के वर्ष 2020-2021 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियाँ।

(2) उपर्युक्त (1) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

ग्रंथालय में रखे गये। देखिए संख्या एल.टी. 9447/17/23)

स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (डॉ. भारती प्रवीण पवार): महोदया, मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखती हूं:-

(1) (एक) अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान, गोरखपुर के वर्ष 2021-2022 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) और लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान, गोरखपुर के वर्ष 2021-2022 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(2) उपर्युक्त (1) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गये, देखिए संख्या एल. टी. 9448/17/23]

(3) (एक) अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान, बिलासपुर के वर्ष 2021-2022 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(2) अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान, बिलासपुर के वर्ष 2021-2022 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(4) उपर्युक्त (3) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गए,देखिए संख्या एल.टी.9449/17/23]

(5) (एक) राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग, नई दिल्ली के वर्ष 2021-2022 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग, नई दिल्ली के वर्ष 2021-2022 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(6) उपर्युक्त (5) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गए,देखिए संख्या एल.टी. 9450/17/23]

(7) सरोगेसी (विनियमन) अधिनियम, 2021 की धारा 52 के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):-

(एक)सरोगेसी (विनियमन) संशोधन नियम, 2023 जो 14 मार्च, 2023 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं सा.का.नि. .179(अ) में प्रकाशित हुए थे

(दो) सरोगेसी (विनियमन) संशोधन नियम, 2022 जो 10 अक्टूबर, 2022 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं सा.का.नि..772(अ) में प्रकाशित हुए थे

[ग्रंथालय में रखी गई ,देखिए संख्या एल.टी.9451/17/23]

(8) सहायता प्राप्त जननीय प्रौद्योगिकी (विनियमन) अधिनियम, 2021 की धारा 44 के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) :-

(एक)सहायता प्राप्त जननीय प्रौद्योगिकी (विनियमन) संशोधन नियम, 2023 जो 24 फरवरी, 2023 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं सा.का.नि .126(अ) में प्रकाशित हुए थे।

(दो) सहायता प्राप्त जननीय प्रौद्योगिकी (विनियमन) संशोधन नियम, 2022 जो 10 अक्तूबर, 2022 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संसा.का.नि..771(अ) में प्रकाशित हुए थे।

[ग्रंथालय में रखी गई,देखिए संख्या एल.टी.9452/17/23]

(9) खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम, 2006 की धारा 93 के अंतर्गत, खाद्य सुरक्षा और मानक (खाद्य उत्पादक मानक और खाद्य योजक) दूसरा संशोधन विनियम, 2023 जो 22 फरवरी, 2023 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं. एसटीडी /एफ़ए /ए-1.30/सं. 1/2020-एफ एस एस ए आई में प्रकाशित हुए थे, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखी गई,देखिए संख्या एल.टी.9453/17/23]

(10) (एक)नॉर्थ ईस्टर्न इंदिरा गांधी रीजनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ ऐंड मेडिकल साइंसेस, शिलांग के वर्ष 2021-2022 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेज़ी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) नॉर्थ ईस्टर्न इंदिरा गांधी रीजनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ एंड मेडिकल साइंसेज, शिलांग के वर्ष 2021-2022 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(11) उपर्युक्त (10) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखी गई,देखिए संख्या एल.टी.9454/17/23]

(12) सरोगेसी (विनियमन) अधिनियम, 2021 की धारा 52 और सहायता प्राप्त जननीय प्रौद्योगिकी (विनियमन) अधिनियम, 2021 की धारा 44 के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):-

(एक)का .आ. .16(अ) जो 4 जनवरी, 2023 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा राष्ट्रीय सहायता प्राप्त जननीय प्रौद्योगिकी और सरोगेसी बोर्ड के सदस्यों के रूप में, उसमें उल्लिखित सदस्यों को अधिसूचित किया गया है।

(2) का.आ.5885(अ) जो 16 दिसंबर, 2022 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा राष्ट्रीय सहायता प्राप्त जननीय प्रौद्योगिकी और सरोगेसी बोर्ड के सदस्यों के रूप में, उसमें उल्लिखित विशेषज्ञों को अधिसूचित किया गया है।

(3) का.आ.3700(अ) जो 4 अगस्त, 2022 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा राष्ट्रीय सहायता प्राप्त जननीय प्रौद्योगिकी और सरोगेसी बोर्ड के सदस्यों के रूप में, उसमें उल्लिखित विशेषज्ञों को अधिसूचित किया गया है।

[ग्रंथालय में रखी गई ,देखिए संख्या एल.टी.9455/17/23]

[हिन्दी]

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पंकज चौधरी) : माननीय सभापति महोदया, मैं केन्द्रीय उत्पाद शुल्क अधिनियम, 1944 की धारा 38 की उप-धारा (2) के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखता हूं:-

(1) अधिसूचना सं. 16/2023 - केन्द्रीय उत्पाद शुल्क जो 3 अप्रैल, 2023 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा जिसके द्वारा पेट्रोलियम क्रूड के उत्पादन पर विशेष अतिरिक्त उत्पाद-शुल्क को कम करने के आशय वाली दिनांक 19 जुलाई, 2022 की अधिसूचना सं. 18/2022 – केन्द्रीय उत्पाद शुल्क में कतिपय संशोधन किए गए हैं तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

ग्रंथालय में रखे गये। देखिए संख्या एल.टी. 9456/17/23)

(2) अधिसूचना सं. 17/2023 – केन्द्रीय उत्पाद शुल्क जो 3 अप्रैल, 2023 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा जिसके द्वारा डीजल के निर्यात पर विशेष अतिरिक्त उत्पाद शुल्क को कम करने से संबंधित दिनांक 30 जून, 2022 की अधिसूचना सं. 04/2022 – केन्द्रीय उत्पाद शुल्क में कतिपय संशोधन किए गए हैं तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

ग्रंथालय में रखे गये। देखिए संख्या एल.टी. 9457/17/23)

अपराह्न 02.02 बजे

लोक लेखा समिति

61वें से 65वां प्रतिवेदन

[हिन्दी]

डॉ. सत्यपाल सिंह (बागपत) : माननीय सभापति महोदया, मैं लोक लेखा समिति (2022-23) के निम्नलिखित प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) प्रस्तुत करता हूं:-

(1) 'सौर तापीय विद्युत संयंत्र का अनुपयोग' संबंधी 61वां प्रतिवेदन।

(2) 'तदर्थ बोनस का अनियमित भुगतान' संबंधी 62वां प्रतिवेदन।

(3) 'वित्त मंत्रालय, रक्षा मंत्रालय तथा महिला और बाल विकास मंत्रालय द्वारा लोक लेखा समिति की सिफारिशों का कार्यान्वयन' के बारे में लोक लेखा समिति के 5वें प्रतिवेदन (17वीं लोक सभा) में अंतर्विष्ट टिप्पणियों/सिफारिशों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्रवाई संबंधी 63वां प्रतिवेदन।

(4) 'स्रोत पर कर की कटौती नहीं किये जाने' के बारे में लोक लेखा समिति के 45वें प्रतिवेदन (17वीं लोक सभा) में अंतर्विष्ट टिप्पणियों/सिफारिशों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्रवाई संबंधी 64वां प्रतिवेदन।

(5) 'लक्षद्वीप द्वीपसमूह में विद्युत का उत्पादन और वितरण' के बारे में समिति के 46वें प्रतिवेदन (17वीं लोक सभा) में अंतर्विष्ट टिप्पणियों/सिफारिशों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्रवाई संबंधी 65वां प्रतिवेदन।

अपराह्न 02.03 बजे

मंत्री द्वारा वक्तव्य

पंचायती राज मंत्रालय से संबंधित अनुदान की माँगों (2022-23) के बारे में ग्रामीण विकास और पंचायती राज संबंधी स्थायी समिति के 24वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों के कार्यान्वयन की स्थिति2*

[हिन्दी]

पंचायती राज मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कपिल मोरेश्वर पाटील) : माननीय सभापति महोदया, मैं आपकी अनुमति से, श्री गिरिराज सिंह जी की ओर से, पंचायती राज मंत्रालय से संबंधित अनुदानों की मांगों (2022-23) के बारे में ग्रामीण विकास और पंचायती राज संबंधी स्थायी समिति के 24वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों के कार्यान्वयन की स्थिति के बारे में वक्तव्य सभा पटल पर रखता हूं।

2* *सभा पटल पर रखा गया और ग्रंथालय में भी रखा गया, देखिए संख्या एल.टी. 9442/17/23।

अपराह्न 02.04 बजे

तटीय जलकृषि प्राधिकरण (संशोधन)
विधेयक, 20233*

[अनुवाद]
मत्स्यपालन, पशुपालन और डेयरी मंत्री (श्री परषोत्तम रूपाला): महोदया, मैं प्रस्ताव करता हूँ कि मुझे तटीय जलकृषि प्राधिकरण अधिनियम, 2005 का संशोधन करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाए।

[हिन्दी]

माननीय सभापति : प्रश्न यह है:

> "कि तटीय जलकृषि प्राधिकरण अधिनियम, 2005 का संशोधन करने वाले विधेयक को पुर:स्थापित करने की अनुमति प्रदान की जाए ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

[अनुवाद]
श्री परषोत्तम रूपाला: महोदया, मैं विधेयक पुरःस्थापित करता हूँ।

3* भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग-II, खंड 2, दिनांक 05.04.2023 में प्रकाशित।

अपराह्न 02.05 बजे

नियम 377 के अधीन मामले*

[हिन्दी]

माननीय सभापति: जिन माननीय सदस्यों को आज नियम 377 के अधीन मामलों को उठाने की अनुमति प्रदान की गई है, वे अपने मामलों के अनुमोदित पाठ को तुरन्त व्यक्तिगत रूप से सभा पटल पर रख दें।

… (व्यवधान)

(एक) मध्य प्रदेश एवं उत्तर प्रदेश की सीमाओं के समीप स्थित राजघाट बांध क्षेत्रों के वाटर स्पोर्ट्स जोन का विकास किए जाने के बारे में

श्री कृष्णपालसिंह यादव (गुना): संसदीय क्षेत्र गुना के अंतर्गत जिला अशोक नगर की तहसील चंदेरी तथा उत्तर प्रदेश के ललितपुर जिले की सीमा पर राजघाट बाँध स्थित है जो बेतवा नदी पर बनाया गया है और यहाँ के क्षेत्रवासियों की निरंतर मांग है कि इसे वाटर स्पोर्ट्स जोन के रूप में विकसित किया जाए। 3400 एकड़ में बना यह बाँध मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश की सीमा पर स्थित है और पर्यटन की दृष्टि से महत्वपूर्ण कई स्थल जैसे प्राचीन चंदेरी नगरी, झाँसी और ओरछा का प्रसिद्ध राम मंदिर बाँध से कुछ ही दूरी पर है और हर वर्ष लाखों की संख्या में पर्यटक आते है। इसी कारण इस बाँध का पर्यटन और आर्थिक विकास के दृष्टिकोण से महत्त्व बढ़ जाता है। मेरा सरकार से निवेदन है कि राजघाट बाँध पर पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए जल शक्ति मंत्रालय द्वारा बेतवा नदी बोर्ड को आवश्यक निर्देश दिए जाएं कि इस बाँध के वाटर स्पोर्ट्स जोन नें पैरासेलिंग, जेट स्की, फ्लो बोर्डिंग, मोटर बोट, पैडल बोट, नौका क्रीड़ा, बनाना राइड, ट्री हाउस, वाटर पोलो, फ्लोटिंग रेस्टोरेंट जैसे खेलों के लिए आवश्यक इंफ्रास्ट्रक्चर का निर्माण हो जिससे नागरिकों और युवाओं को जल क्रीड़ाओं का आनंद प्राप्त हो और पर्यटन को बढ़ावा मिलने के परिणामस्वरूप आर्थिक विकास और युवाओं को रोज़गार के अवसर मिलें।

*सभा पटल पर रखे गए माने गए।

(दो) संबलपुरी भाषा को संविधान की आठवीं अनुसूची में शामिल किए जाने के बारे में

[अनुवाद]

श्री सुरेश पुजारी (बारगढ़): मैं माननीय प्रधान मंत्री और माननीय गृह मंत्री का आभार व्यक्त करता हूं कि उन्होंने पद्म पुरस्कारों के लिए चार ओड़िया लोगों को नामित किया, जिनमें एक प्रसिद्ध संबलपुरी गायक सुश्री कृष्ण पटेल भी शामिल हैं। वह सदाबहार संबलपुरी गीत, 'रंगबती रंगबती' गाने के लिए प्रसिद्ध हैं।

इससे पहले, गीत के अन्य गायक श्री जितेंद्र हरिपाल, इसके लेखक और संगीतकार श्री मित्राभानु गौटिया को पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। संबलपुरी भाषा के एक अन्य विशेषज्ञ, लेखक और कवि श्री हलदर नाग, जिन्हें 'लोक कवि' के नाम से जाना जाता है, को भी पद्मश्री से सम्मानित किया जा चुका है। इससे व्यावहारिक रूप से, सदियों पुरानी भाषा, संबलपुरी को नई पहचान मिली है। इसके अलावा, संबलपुरी भाषा का अपना अलग व्याकरण, साहित्य, गीत, संगीत, नाटक और सिनेमा है।

हाल ही में, श्री सव्यसाची महापात्रा द्वारा निर्देशित संबलपुरी कोसाली फिल्म, 'साला बूढ़ा'' अथवा 'द स्टुपिड मैन' ने ओडिशा राज्य फिल्म पुरस्कार में सर्वश्रेष्ठ फिल्म और सर्वश्रेष्ठ निर्देशक सहित कई श्रेणियों में पुरस्कार जीते।

इसके अलावा, इस भाषा में प्रसिद्ध लेखकों द्वारा महाकाव्य 'रामायण' और 'महाभारत' तथा 'श्रीमद भागवत गीता' सहित अनेक प्रसिद्ध पुस्तकें लिखी गई हैं।

अब समय आ गया है कि इस भाषा को संविधान की आठवीं अनुसूची में शामिल किया जाए।

इसलिए, मैं माननीय गृह मंत्री से अनुरोध करता हूं कि कृपया संबलपुरी भाषा को संविधान की आठवीं अनुसूची में शामिल करें।

(तीन) कोविड -19 वैश्विक महामारी के बाद हृदयाघात के कारण होने वाली मौतों के बढ़ते मामलों की जांच के लिए एक चिकित्सा अनुसंधान समिति का गठन किए जाने की आवश्यकता

[हिन्दी]

श्री पी. पी. चौधरी (पाली) : जिस तरीके से माननीय प्रधानमंत्री जी के कुशल नेतृत्व में हमारे देश ने कोविड-19 महामारी का सामना किया है, उसकी प्रशंसा आज पूरे विश्व भर में की जा रही है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी की दूरदर्शी सोच ने सिर्फ भारत की ही नहीं अपितु "वसुधैव कुटुम्बकम् की भावना के साथ अन्य देशों को भी हमारे देश की कोविड वैक्सिन उपलब्ध करवाकर करोड़ों लोगों के जीवन की रक्षा की है। माननीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री जी का ध्यान आकर्षित करते हुए बताना चाहता हूँ कि कोविड -19 महामारी के बाद देश में दिल के दौरे के मामलों की संख्या में वृद्धि हुई है। एक शोध अध्ययन में पाया गया कि देश के युवा विशेष रूप से 25-44 वर्ष की आयु के लोगों में घातक दिल के दौरे का खतरा बढ़ा है। पिछले दो दशकों में देश में हृदय रोग लगभग दोगुना होकर 15% से 28% हो गया है। पिछले एक साल में देश ने कई प्रमुख हस्तियों की अचानक कार्डियक अटैक से मौते देखी है। इसलिए, मैं माननीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री जी से अनुरोध करता हूं कि कार्डियक अटैक के कारण युवाओं की बढ़ती मौतों के कारणों का पता लगाने के लिए, चिकित्सा अनुसंधान समिति का गठन किया जाए और दिल के दौरे के कारण युवा आबादी की मृत्यु को कम करने के लिए नए निवारक स्वास्थ्य संबंधी दिशानिर्देश जारी किए जाएं।

(चार) महाराष्ट्र में नार-पार-गिरणा लिंक परियोजना के निर्माण एवं कार्यान्वयन के बारे में

[अनुवाद]

श्री उन्मेश भैय्यासाहेब पाटिल (जलगाँव):नार-पार-गिरणा घाटी लिंक परियोजना महाराष्ट्र राज्य का एक अंतर-राज्य लिंक प्रस्ताव है, जो पश्चिम की ओर बहने वाली नदी बेसिनों यथा अंबिका बेसिन, औरंगा बेसिन और नार-पार बेसिन के महाराष्ट्र भाग में स्थित बीस प्रस्तावित छोटे बांधों से अधिशेष पानी को पूर्व की ओर की नदी यानि तापी बेसिन की गिरणा नदी की ओर मोड़ने के लिए है जिससे कि गिरणा उप-बेसिन के नासिक, जलगांव और औरंगाबाद क्षेत्रों में चिन्हित प्रस्तावित कमांड क्षेत्रों में इस पानी का उपयोग किया जा सके। नार-पार-गिरणा घाटी लिंक परियोजना अम्बिका/औरंगा/नार-पार बेसिन से 534 एम.सी.एम. पानी को प्रस्तावित बीस छोटे बांधों के माध्यम से गुरुत्वाकर्षण और उद्वाहक का प्रयोग करते हुए गिरणा नदी में डायवर्जन सुनिश्चित करेगी। इस प्रस्ताव के फलीभूत होने पर गिरणा उप-बेसिन में 95760 हेक्टेयर क्षेत्र की सिंचाई होगी। इस प्रस्ताव के फलीभूत होने पर गिरणा उप-बेसिन के नासिक क्षेत्र में 53626 हेक्टेयर, जलगांव क्षेत्र में 38304 हेक्टेयर और औरंगाबाद क्षेत्र में 3830 हेक्टेयर भूमि की सिंचाई होगी। एनडबल्यूडीए. द्वारा एक व्यवहार्यता अध्ययन भी किया गया था। नार-पार-गिरणा लिंक परियोजना के जल्द संचालन से मेरे निर्वाचन क्षेत्र के निवासियों विशेष रूप से किसानों को लाभ होगा जो सूखे और सिंचाई की सुविधाओं की कमी से पीड़ित हैं। मैं सरकार से अनुरोध करता हूं कि वह नार-पार-गिरणा लिंक परियोजना के निर्माण और कार्यान्वयन में तेजी लाए जो हमारे माननीय प्रधान मंत्री के हर घर जल और हर खेत को पानी के विजन को पूरा करेगी और सिंचाई सुविधाओं के विकास के माध्यम से हमारे किसानों की आय को दोगुना करने में मदद करेगी।

(पाँच) ओडिशा में किसानों से धान की खरीद के बारे में

श्रीमती संगीता कुमारी सिंह देव (बोलंगीर): ओडिशा सरकार द्वारा राज्य के किसानों से धान की खरीद की धीमी गति के कारण ओडिशा के किसान परेशान हैं। समस्याओं को उजागर किए जाने के बावजूद, सरकार द्वारा धान की बड़े पैमाने पर तेजी से खरीद जिससे किसानों की परेशानी कम हो जाएगी,अभी भी शेष है।

विलंबित खरीद के कारण, किसानों को या तो न्यूनतम समर्थन मूल्य से कम कीमत पर अपनी उपज बेचने या उपज के संरक्षण के लिए अधिक संसाधन लगाने के लिए मजबूर होना पड़ रहा है। सरकार ने अभी तक उन किसानों से उपज की खरीद नहीं की है, जिन्हें टोकन जारी किए गए थे। उनकी परेशानी और बढ़ गई है, कुछ टोकन भी समाप्त हो गए हैं और नागरिक आपूर्ति अधिकारी उन्हें नवीनीकृत करने से मना कर रहे हैं। खरीद प्रक्रिया की धीमी गति से किसानों को आर्थिक रूप से नुकसान हो रहा है।

मैं केंद्र सरकार से आग्रह करता हूं कि वह ओडिशा सरकार से एक रिपोर्ट मांगे जिसमें इसके समाधान के लिए उनकी कार्य योजना और उपचारात्मक उपायों का उल्लेख हो।

(छह) झारखंड और आसपास के राज्यों में हाथी गलियारे बनाए जाने की आवश्यकता

[हिन्दी]

श्री संजय सेठ (राँची): हाथियों के उत्पात ने रांची सहित पूरे राज्य में तबाही मचा रखी है। बीते 5 सालों में 462 मौत हाथियों के आतंक से हुई हैं और यह भारत में दूसरे नंबर का राज्य है, जहां इतनी बड़ी संख्या में मौतें हुई हैं। इसका कारण कहीं ना कहीं पर्यावरण के असंतुलन के साथ इंसान की गलतियां भी हैं। झारखंड की जो स्थिति है, उसमें अवैध बालू खनन के कारण लोगों ने हाथियों का रास्ता रोक दिया है। हाथियों का जो कॉरिडोर है, उसमें बंगाल पश्चिम बंगाल ने फेसिंग कर दी है। परिणाम यह हुआ है कि रास्ता बंद होने से हाथी बेकाबू होते जा रहे हैं। वर्तमान समय में रांची और खूंटी जिले में करीब 5 दर्जन से अधिक हाथियों का झुंड फंसा हुआ है, जो कहीं ना कहीं उत्पात मचा रहा है।

इस साल महज 3 महीने में हाथियों से कुचलकर 20 लोगों की मौत हो चुकी है। दूसरी तरफ भालू भी अब हमलावर होते जा रहे हैं। हाथियों की समस्या के समाधान के लिए कदम उठाए जाएं। जो राज्य हाथियों व जंगली जानवरों के उत्पात से प्रभावित हैं, उनके साथ मिलकर कॉरिडोर बनाया जाए ताकि मानव और हाथियों के बीच चल रहा संघर्ष रुक सके एवं लोगों की जान बचे।

(सात) रायपुर संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में सीमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इण्डिया के बंद पड़े सीमेंट प्लांट की भूमि का औद्योगिक प्रयोजन हेतु उपयोग किये जाने की आवश्यकता

श्री सुनील कुमार सोनी (रायपुर): मेरे लोकसभा क्षेत्र रायपुर अंतर्गत ग्राम मांढर विकासखंड धरसींवा अंतर्गत सीमेंट कार्पोरेशन ऑफ इंडिया का सीमेंट प्लांट संचालित था। वर्तमान में उक्त सीमेंट प्लांट बंद है। सीमेंट प्लांट एवं उससे लगे कर्मचारियों के निवास के लिए बनाई गई कॉलोनी वर्तमान में अत्यंत जर्जर स्थिति में है। उक्त क्षेत्रफल लगभग 200 एकड़ भूमि का है। आज रायपुर जो कि छत्तीसगढ़ की राजधानी है, में भूमि की दर उच्चतम स्तर पर है एवं भूमि की कमी भी है। उक्त स्थिति में उक्त 200 एकड़ में फैला सीमेंट प्लांट एवं कॉलोनी का किसी तरीके का उपयोग नहीं हो रहा है। अतः मेरा माननीय मंत्री जी से अनुरोध है कि उक्त भूमि का उपयोग अन्य किसी वृहद उद्योग के लिए किया जाये, जिससे कि उक्त क्षेत्र के निवासियों को रोजगार के अवसर भी प्राप्त हो सकेंगे अथवा इस संबंध में अन्य कोई नीतिगत निर्णय लिया जाये जिससे कि केन्द्र सरकार की रिक्त भूमि से सरकार को राजस्व प्राप्त हो सके।

(आठ) पलामू संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में सभी गाँवों और बस्तियों के विद्युतीकरण किए जाने की आवश्यकता

श्री विष्णु दयाल राम (पलामू) : भारत सरकार के नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय के द्वारा प्रधानमंत्री सौभाग्य योजना के अंतर्गत न केवल सभी गांवों बल्कि सभी घरों को विद्युतीकृत करने का कार्य किया गया है परन्तु दुर्भाग्यवश कतिपय कारणों से राज्य के कई जिलों खासकर मेरे संसदीय क्षेत्र पलामू एवं मेरे बगल के संसदीय क्षेत्र चतरा में ऐसा नहीं हो सका है। इस दिशा में किए जा रहे प्रयासों को अभी तक सफलता नहीं मिली है एवं मेरे संसदीय क्षेत्र के पलामू एवं गढ़वा जिलों में बड़ी संख्या में गाँवों/टोलों को विद्युतीकृत करना शेष रह गया है।

अतः माननीय मंत्री, नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री जी से माँग करता हूँ कि मेरे संसदीय क्षेत्र के सभी गाँवों का प्रधानमंत्री सौभाग्य योजना के अंतर्गत विद्युतीकरण किया जाए।

(नौ) सेबी द्वारा सहारा समूह के निवेशकों का पैसा वापस किये जाने के बारे में

श्री विजय बघेल (दुर्ग) : सर्वोच्च न्यायालय के निर्देश पर सहारा ने सेबी के खाते में 24000 करोड़ रूपये से अधिक राशि जमा की है जिसमें से सेबी द्वारा निवेशकों को लगभग मात्र 129 करोड़ रूपये का ही भुगतान विगत 8-10 वर्षों में किया गया है। सहारा कंपनी में देश भर के लगभग 10 करोड़ जमाकर्ता व 12 लाख कर्मचारी इस मामले में प्रत्यक्ष रूप से प्रभावित हैं।

अत: मैं माननीय वित्त मंत्री जी से निवेदन करता हूँ कि जल्द से जल्द सहारा सेबी के मामले को सुलझाने हेतु संबंधित अधिकारियों को निर्देशित करने की कृपा करें।

(दस) मध्य प्रदेश के भोपाल में एम्स में स्वास्थ्य सुविधाओं में सुधार किये जाने की आवश्यकता

श्री रमाकान्त भार्गव (विदिशा) : देश के बड़े चिकित्सालय में से एक मध्य प्रदेश के भोपाल में स्थित अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान चिकित्सालय (एम्स) है, जिसमें भोपाल शहर एवं आस- पास क्षेत्र के मरीज यहाँ पर उपचार कराने आते है। प्रायः देखा गया है, कि चिकित्सालय में ओ. पी. डी. के मरीजों की संख्या प्रति दिन बढ़ती जा रही है, ऑनलाइन पंजीयन सुविधा व्यवस्थित नहीं होने से मरीजों को परामर्श हेतु पंजीयन की लंबी कतारों में लगना पड़ता है। सभी विभागों के विशेषज्ञ डॉक्टर एवं अन्य सहयोगी डॉक्टर पर्याप्त संख्या में उपलब्ध ना होने के कारण चिकित्सालय की जांच मशीनों को चलाने हेतु तकनीकी स्टाफ की कमी है एवं चिकित्सालय में नर्सिंग एवं पैरामेडिकल स्टाफ पर्याप्त नहीं है। इन कारणों से मरीजों को चिकित्सालय में उपचार कराने में असुविधा हो रही है एवं मरीजों का उपचार पूर्ण रूप से नहीं हो पा रहा है। मैं माननीय मंत्री, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय से आग्रह करना चाहता हूं कि भोपाल (म.प्र.) में स्थित एम्स चिकित्सालय की सभी समस्याओं का निराकरण शीघ्र कराने का कष्ट करेंगे जिससे क्षेत्र के आर्थिक रूप से कमजोर मरीजों के उपचार की सुविधा बेहतर हो सके।

(ग्यारह) शिवसागर,असम में प्रतिष्ठित पर्यटन स्थलों का विकास किए जाने के बारे में

[अनुवाद]

श्री तपन कुमार गोगोई (जोरहाट): एक बहुत चिंता का विषय है कि वित्त मंत्री जी ने केंद्रीय बजट 2020-2021 में यह घोषणा की थी कि पांच पुरातात्विक स्थलों को ऑनसाइट संग्रहालयों के साथ प्रतिष्ठित स्थलों के रूप में विकसित (संरक्षण और सौंदर्यीकरण) किया जाएगा। मैं असम के शिवसागर में प्रतिष्ठित स्थलों के विकास (संरक्षण और सौंदर्यीकरण) के लिए चुने गए प्रमुख पर्यटन स्थलों की संख्या जानना चाहूंगा। साथ ही मैं यह भी जानना चाहता हूँ कि असम में शिवसागर के प्रतिष्ठित स्थलों और ऑनसाइट संग्रहालय के संरक्षण और सौंदर्यीकरण के लिए कितनी धनराशि आवंटित की गई है और विस्तृत कार्य योजना का ब्यौरा क्या है।

मैं माननीय संस्कृति मंत्री से जानना चाहता हूँ कि असम के शिवसागर में ऑनसाइट संग्रहालय और प्रतिष्ठित स्थलों के विकास हेतु जमीन पर क्या कार्रवाई की जा रही है और उनको तेजी से पूरा करने के लिए क्या उपाय किए गए हैं। इसे अंतरराष्ट्रीय पर्यटकों के साथ-साथ घरेलू पर्यटकों के लिए भी एक बड़े आकर्षण के रूप में विकसित किया जाना चाहिए।

(बारह) रेलगाड़ी संख्या 22197/22198 और 19305/19306 के मार्ग में परिवर्तन किए जाने की आवश्यकता

[हिन्दी]

श्री विवेक नारायण शेजवलकर (ग्वालियर): रेल सुविधा के बेहतरीकरण के संबंध में आग्रह करना चाहता हूं कि ग्वालियर से इटावा तक रेल लाईन का विद्युतीकरण कार्य पूरा हो चुका है। वर्तमान में झांसी से कानपुर होकर कोलकाता, बिहार और असम सहित उत्तर प्रदेश के महत्वपूर्ण शहरों के लिये संचालित हो रही कुछ ट्रेनों को झांसी से वाया ग्वालियर-भिण्ड-इटावा-कानपुर होकर चलाया जाये तो ग्वालियर के यात्रीगणों को लाभ होगा।

1. ट्रेन सं. 22197/22198 झांसी-कोलकाता एक्सप्रेस झांसी से प्रत्येक शुक्रवार को वाया कानपुर होकर कोलकाता के लिये संचालित होती है। इस ट्रेन को झांसी से वाया ग्वालियर-भिण्ड-इटावा होकर कानपुर चलाने से ग्वालियर से कोलकाता एवं कानपुर जाने के लिये एक अतिरिक्त गाडी की सुविधा मिल जायेगी। वर्तमान में कोलकाता के लिये एक मात्र चंबल एक्सप्रेस है।

2. 19305/19306 इंदौर-गुवाहाटी सुपर फास्ट एक्सप्रेस प्रत्येक गुरूवार को अंबेडकर नगर इंदौर से झांसी वाया कानपुर होकर कामाख्या के लिये जाती है, इस ट्रेन को झांसी से वाया ग्वालियर-भिण्ड-इटावा होकर कानपुर चलाने से ग्वालियरवासियों को कामाख्या, जलपाईगुढी, बरौनी और बनारस जैसे महत्वपूर्ण स्थानों के लिये ट्रेन सुविधा में बढोत्तरी होगी। साथ ही ग्वालियर से कामाख्या के लिये डायरेक्ट भी मिल जायेगी।

आशा है कि माननीय रेल मंत्री जी मेरे आग्रह पर गंभीरतापूर्वक विचार करेंगे।

(तेरह) हरियाणा के जींद में एक पासपोर्ट सेवा कार्यालय स्थापित किए जाने की आवश्यकता

श्री रमेश चन्द्र कौशिक (सोनीपत): मेरे संसदीय क्षेत्र सोनीपत (हरियाणा) में आने वाले जींद की जनता की मांग को देखते हुए जिला स्तर पर लघु सचिवालय में पासपोर्ट बनाए जाने की सुविधा शुरू की जाए ताकि उन्हें भी भविष्य में आगे बढ़ने का अवसर प्रदान हो। आगे जाकर भविष्य में ऐसे छात्र ही हमारे देश को आगे ले जाने का कार्य करेंगे। यहाँ छात्रों को पासपोर्ट बनवाने के लिए दूसरे जिले में जाना पड़ता है। अगर सरकार ऐसा करती है, तो जींद के लाखों लोगों को फायदा पहुंचेगा। एक तो जिला स्तर पर पासपोर्ट बनवाने वालों की भीड़ कम हो जाएगी, वहीं साथ ही पासपोर्ट बनवाने के लिए लोगों को 100-100 किलोमीटर का फासला तय करने से छुटकारा मिलेगा।

अत: मेरा सरकार से अनुरोध है कि मेरे संसदीय क्षेत्र में आने वाले जींद में पासपोर्ट सेवा ऑफिस की शुरूआत की जाए।

(चौदह) गोरखपुर संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में रेलवे स्टेशनों पर रेलगाड़ियों के ठहराव को बहाल किए जाने की आवश्यकता

श्री रवि किशन (गोरखपुर): भारतीय रेलवे देश की जीवन रेखा है, जिससे करोड़ो यात्री प्रतिदिन यात्रा करते हैं। भारतीय रेल का श्रद्धेय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में चहुँमुखी विकास हो रहा है, जिससे यात्रियों को काफी सुविधा महसूस हो रही है। आज यात्रियों को वर्ल्ड क्लास रेल यात्रा की अनुभूति हो रही है, जिसके लिए मैं माननीय प्रधानमंत्री जी और माननीय रेल मंत्री जी के प्रति आभार प्रकट करता हूं। मैं माननीय रेल मंत्री जी का ध्यान आकर्षित करते हुए निवेदन करना चाहता हूँ कि आपदा काल कोरोना में देश में सभी ट्रेनों का संचालन निरस्त कर दिया गया था, बाद में ट्रेनों का संचालन दोबारा शुरू हो गया। परन्तु मेरे संसदीय क्षेत्र के विभिन्न रेलवे स्टेशनों पर कुछ ट्रेनों का ठहराव निरस्त कर दिया गया है जहां पूर्व समय से ठहराव चलता आ रहा है। मेरे संसदीय क्षेत्र में कुछ और भी महत्वपूर्ण ट्रेनों का ठहराव जनहित में अति आवश्यक है, जिसमें सहजनवां रेलवे स्टेशन पर गाड़ी संख्या एक्स. 15007/15008 गोरखनाथ एक्स., 19038/19037 अवध एक्स, 22537/22538 कुशीनगर एक्स, 11124/11123 बरौनी ग्वालियर एक्स., 15273/15274 सत्याग्रह एक्स. शामिल हैं। इसके अतिरिक्त पी0पी0 गंज और कैम्पियरगंज में गाड़ी संख्या 18201/18202, 18205/18206, 15065/15067 एवं 15066/15068 का ठहराव जनहित में अति आवश्यक है। अतः मैं माननीय रेल मंत्री जी से मांग करता हूं कि उपरोक्त ट्रेनों का ठहराव मेरे संसदीय क्षेत्र के उल्लिखित स्टेशनों पर सुनिश्चित करने की कृपा करें जिससे मेरे संसदीय क्षेत्र के यात्रियों को रेल सुविधा का समुचित लाभ मिल सके।

(पन्द्रह) संविदा कर्मचारियों के लिए राष्ट्रीय नीति बनाए जाने की आवश्यकता

[अनुवाद]

श्री विनोद कुमार सोनकर (कौशाम्बी): मैं सरकार से आग्रह करता हूँ कि वह विभिन्न प्रकार के सरकारी और निजी क्षेत्रों में काम करने वाले संविदा कर्मचारियों के लिए एक राष्ट्रीय नीति बनाए जिससे कि उनके मानवाधिकार और श्रम अधिकारों की रक्षा की जा सके।

(सोलह) जम्मू और कश्मीर सरकार के ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभागों के सामुदायिक सूचना केंद्र संचालकों की दुर्दशा के बारे में

श्री अब्दुल खालेक (बारपेटा): जम्मू और कश्मीर सरकार में ग्रामीण विकास और पंचायती राज विभाग के साथ काम करने वाले सामुदायिक सूचना केंद्र (सी.आई.सी) ऑपरेटरों की दुर्दशा चिंताजनक है। सीआईसी ऑपरेटर 2004 से काम कर रहे हैं और वे उचित भर्ती प्रक्रिया के माध्यम से चुने गए थे तथा बी.टेक, एम.टेक और एमसीए जैसी डिग्री के साथ काफी योग्य हैं। हालाँकि, विभाग के साथ लगभग दो दशकों की सेवा करने के बाद भी, सरकार ने अभी तक उनकी सेवा को नियमित नहीं किया है और वे संविदात्मक आधार पर ही सेवा दे रहे हैं।

उनका वेतन 10,000/- रु. प्रति माह है। वर्तमान में, इस मामूली धनराशि से परिवार तथा बच्चों की शिक्षा का खर्च उठाना बहुत मुश्किल है। इस मामले पर गौर करने हेतु पूर्व में कई समितियों का गठन किया गया था। तथापि, सीआईसी ऑपरेटरों की स्थिति पूर्ववत बनी हुई है। अब, चूंकि अनुच्छेद 370 के अन्तर्गत विशेष दर्जा हटा दिया गया है तथा जम्मू और कश्मीर संघ राज्यक्षेत्र बन गया है, इसलिए सरकार के लिए यह विवेकपूर्ण है कि वह सीआईसी ऑपरेटरों की नौकरी को नियमित करने हेतु कदम उठाए।

इसलिए, सीआईसी ऑपरेटरों के हित के लिए, मैं इस मामले पर तत्काल विचार करने और उनकी सेवा को नियमित करने का आग्रह करता हूँ। यह कदम ऑपरेटरों और उनके परिवारों को जरूरी राहत देने में मदद करेगा।

(सत्रह) केरल में वंदे भारत रेलगाड़ी चलाए जाने के बारे में

श्री के. मुरलीधरन (वडाकरा): वंदे भारत एक्सप्रेस अब देश के लगभग सभी राज्यों में चल रही है। कुछ पूर्वोत्तर राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों के अलावा, केरल एकमात्र ऐसा राज्य है जहाँ यह अत्याधुनिक रेलगाड़ी नहीं चलती है। केरल को वंदे भारत रेलगाड़ी से वंचित करने का दिया गया कारण यह है कि राज्य के कुल रेलवे ट्रैक के 36 प्रतिशत में मोड़ थोड़े विषम हैं। यह रेलवे का आकलन है कि इस मार्ग से रेलगाड़ी वांछित गति से नहीं चल सकती है। रेलवे बोर्ड का पहला प्रस्ताव तिरुवनंतपुरम से मंगलौर तक वंदे भारत एक्सप्रेस चलाए जाने का था। लेकिन इस विचार को तभी लागू किया जा सकता है जब इसे 8 घंटे में चलाया जाए। इन बाधाओं को दूर करने के लिए केरल में रेलवे मंडलों की ओर से कोई प्रयास नहीं किया गया है। इसके अलावा, उन अनुरक्षण डिपुओं का काम, जिन्हें वंदे भारत एक्सप्रेस के संचालन शुरू होने पर उनकी जरूरतों के अनुरूप मरम्मत करने की आवश्यकता होगी, वह भी पर्याप्त रूप से उन्नत नहीं हुआ है। इसलिए, मैं माननीय रेल मंत्री से अनुरोध करता हूँ कि कर्नाटक के कोल्लूर मूकाम्बिका मंदिर को त्रिवेंद्रम स्थित श्री पद्मनाभ स्वामी मंदिर के साथ जोड़ने वाली एक वंदे भारत रेलगाड़ी या कोयम्बटूर को कन्नूर के साथ जोड़ने वाली वंदे भारत रेलगाड़ी की स्वीकृति दी जाए और केरल में वंदे भारत रेलगाड़ी के संचालन के लिए तकनीकी बाधाओं को दूर किया जाए।

(अठारह) तिरुवन्नामलाई संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में आदिवासियों के उत्थान के लिए परियोजनाओं के बारे में

श्री सी. एन. अन्नादुरई (तिरुवन्नामलाई): मेरे संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में जवधू पहाड़ियां, येलागिरी पहाड़ियां पुदुर्नदु आदि जनजातीय क्षेत्र हैं जहां लाखों आदिवासी निवास करते हैं। उनमें से अधिकांश गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन कर रहे हैं और कुपोषण के शिकार हैं। यहाँ सड़कें, चिकित्सा सेवाएं, शिक्षा, दूरसंचार, कृषि आदि जैसी बुनियादी सुविधाओं का अभाव है। मैं केंद्र सरकार से आग्रह करता हूँ कि मेरे निर्वाचन क्षेत्र में नीतियों, कार्यक्रमों और आर्थिक विकास परियोजनाओं को कुशलतापूर्वक और प्रभावी ढंग से लागू किया जाए जिससे कि इस आर्थिक विकास का लाभ मेरे निर्वाचन क्षेत्र के जनजातीय क्षेत्रों तक पहुंच सके। मैं केन्द्र सरकार से यह भी अनुरोध करता हूँ कि सभी जनजाति कल्याणकारी उपायों को मेरे निर्वाचन क्षेत्र में भी लागू किया जाए।

(उन्नीस) अरुलमिगु तीर्थगिरिश्वर मंदिर को प्रसाद योजना में शामिल किए जाने के बारे में

डॉ. डी.एन.वी. सेंथिलकुमार एस. (धर्मापुरी): तीर्थमलाई स्थित तीर्थगिरिश्वर मंदिर एक महत्वपूर्ण पवित्र स्थान है जो मेरे संसदीय निर्वाचन क्षेत्र के हरूर तालुक के अंतर्गत आता है।

यह मंदिर 7वीं शताब्दी में चोल, पाण्ड्य और विजयनगर राजाओं द्वारा उदारता पूर्वक दिए गए दान से बनाया गया था। इस मंदिर में कई शिलालेख पाए गए हैं। शिलालेखों में से एक यह बताता है कि राजा राजेन्द्र चोल नियमित रूप से इस मंदिर में जाते थे। वर्तमान में मंदिर में आने वाले श्रद्धालुओं की संख्या बढ़ती जा रही है। साथ ही अन्य जिलों और राज्यों से भी भारी संख्या में लोग मंदिर के दर्शन करने आ रहे हैं। विरासत शहर, स्थानीय कला, हस्तशिल्प आदि के एकीकृत पर्यटन विकास की अधिक आवश्यकता है जो बदले में आजीविका उत्पन्न करेगा और बुनियादी ढांचे के अंतर को पाटने की क्रियाविधि को मजबूत करेगा।

इसलिए, मैं माननीय पर्यटन मंत्री से अरुलमिगु तीर्थगिरिश्वर मंदिर को तीर्थयात्रा कायाकल्प और आध्यात्मिक विरासत संवर्धन अभियान योजना (प्रसाद) के अन्तर्गत शामिल करने का आग्रह करता हूँ।

(बीस) अग्निपथ जैसी योजना का अन्य सरकारी विभागों में विस्तार किए जाने के बारे में

श्री श्रीधर कोटागिरी (एलुरु): भारत में युवा जनसंख्या काफी है। सरकारी आंकड़ों के अनुसार, वर्ष 2021 में,15-29 वर्ष के आयु वर्ग के युवाओं की जनसंख्या भारत की कुल जनसंख्या का 27.2 प्रतिशत से अधिक थी।

इस विशाल 'युवा आबादी' के बीच, हाल ही में घोषित अग्निवीरों की भर्ती करने वाली अग्निपथ योजना बहुत लोकप्रिय प्रतीत होती है, जिसमें केवल 3000 पदों के लिए लगभग 8 लाख आवेदन प्राप्त हुए हैं, जो अब तक के आवेदकों की सबसे अधिक संख्या है।

सरकार के विभिन्न अन्य विभागों में 5 वर्ष की अनुबंध अवधि के साथ समान तर्ज पर एक योजना लागू करना नए स्नातकों के लिए और भी अधिक लाभदायक हो सकता है। इससे उन्हें अपने पसंदीदा क्षेत्र में अपना करियर शुरू करने के साथ-साथ, उनकी 5 वर्ष की सेवा अवधि के पूरा होने के बाद उन्हें अन्य बेहतर अवसर उपलब्ध होंगे। युवाओं को प्रशिक्षित करने और उन्हें हर क्षेत्र में अधिक अवसर प्रदान करने के अलावा, यह सरकार की सेवानिवृत्ति और पेंशन लागत को कम करने में भी सहायता करेगा जिससे हमारे देश को लंबे समय से चली आ रही पेंशन समस्या से निपटने में सहायता मिलेगी।

इसलिए, मैं सरकार से अनुरोध करता हूँ कि वह प्रत्येक सरकारी विभाग में विद्यापथ नाम से एक ऐसी ही योजना लागू करने पर विचार करे, जिसके तहत विद्यावीरों भर्ती की जाए और हर मंत्रालय के हर विभाग में संभावित पदों की पहचान की जाए, जिसे इस 5-वर्षीय रोज़गार योजना में आसानी से शामिल किया जा सके।

(इक्कीस) भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र (बीएआरसी) और राष्ट्रीय केमिकल एंड फर्टिलाइजर्स लिमिटेड (आरसीएफ) में अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग के अभ्यर्थियों को आरक्षण का लाभ प्रदान किए जाने के बारे में

श्री राहुल रमेश शेवाले (मुम्बई दक्षिण-मध्य): महाराष्ट्र में, कोली, मनेवार, हल्बा/हल्बा कोष्टी/कोष्टी समुदाय के एससी/एसटी और ओबीसी कर्मचारियों को बीएआरसी, आरसीएफ और केंद्र सरकार के अन्य विभागों में आरक्षण का लाभ नहीं मिल रहा है। कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग ने दिनांक 08-10-2021 के अपने कार्यालय ज्ञापन के माध्यम से केंद्र सरकार के सभी विभागों से अनुरोध किया है कि वे 'सेवा में अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग हेतु आरक्षण संबंधी विवरणिका' के जाति संबंधी दावों के सत्यापन से संबंधित अध्याय 8 के अन्तर्गत कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग के स्थायी आदेशों का अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए उसके दिनांक 24-7-2020 के कार्यालय ज्ञापन के अनुसार आवश्यक कार्रवाई करें। विभाग यह सुनिश्चित करें कि आरक्षण का लाभ केवल सही दावेदारों को मिले; किसी भी जाति के बारे में दावे का सत्यापन 'सेवा में अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग हेतु आरक्षण संबंधी विवरणिका' भाग-एक,अध्याय 8 के पैरा 8.5 के अनुसार किया जाए। लेकिन यह पाया गया है कि महाराष्ट्र में सरकारी विभाग विशेष रूप से बीएआरसी(बार्क),आरसीएफ, पीएसयू और अनुषंगी संस्थान कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग के आदेशों का पालन नहीं कर रहे हैं। जाति सत्यापन के बाद भी कर्मचारियों को आरक्षण का लाभ नहीं मिल पा रहा है, जिसका उन्हें सेवा में अधिकार है। वास्तविक अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति /अन्य पिछड़ा वर्ग के उम्मीदवारों के हितों की रक्षा के लिए भारत के संविधान के प्रावधानों का सम्मान करना हर विभाग की प्रमुख जिम्मेदारी है। मैं सरकार से यह सुनिश्चित करने का अनुरोध करता हूँ कि अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़े वर्गों के कर्मचारियों को जाति सत्यापन के पश्चात् सेवा में आरक्षण लाभ मिले।

(बाईस] बिहार के भागलपुर में रेलवे का एक मंडल कार्यालय स्थापित किए जाने और भागलपुर से राजधानी या वंदे भारत रेलगाड़ी चलाए जाने की आवश्यकता

[हिन्दी]

श्री अजय कुमार मंडल (भागलपुर): भागलपुर में रेलवे मंडल बनाने की मांग सन 1952 में पूर्वी रेलवे की स्थापना से हो रही है। मालदा (पश्चिम बंगाल) में रेलवे मंडल, जिसके अंतर्गत भागलपुर रेलवे स्टेशन आता है, 1984 में बनाया गया था। कथित रूप से मानदंडों की अनदेखी करके रेलवे डिवीजन को मालदा को सौंप दिया गया था। अतः आपसे अनुरोध है कि जनहित में भागलपुर में रेलवे मंडल कार्यालय की स्थापना की जाए।

व्यवसायिक दृष्टिकोण से भागलपुर के विकास के लिए राजधानी रेल सेवा की शुरुआत किया जाना जरूरी है। लंबे समय से बिहार के भागलपुर से राजधानी रेल परिचालन की मांग की जा रही है। सिल्क सिटी के नाम से मशहूर भागलपुर में तमाम उद्योग धंधे हैं। यहां और भी उद्योग स्थापित किए जाने की प्रबल संभावनाएं हैं। गंगा नदी के किनारे बसा यह शहर पर्यटन की दृष्टि से भी अति महत्वपूर्ण है इसके उपरांत भी भागलपुर से राजधानी रेल का परिचालन शुरू नहीं हो पाया है।

मैं माननीय मंत्री का उपरोक्त विषय पर ध्यानाकर्षण करते हुए यह आग्रह करता हूं कि भागलपुर से राजधानी रेल परिचालन हेतु शीघ्र कार्यवाही शुरू की जाए जिससे भागलपुर वासियों को राजधानी रेल यातायात का लाभ प्राप्त हो सके या वन्दे भारत रेल का परिचालन भागलपुर से शीघ्र किया जाए।

[तेईस] उत्तर प्रदेश में पुरानी पेंशन योजना बहाल किए जाने की आवश्यकता

श्रीमती संगीता आज़ाद (लालगंज): पेंशन एक तरह से बुढ़ापे की लाठी होती है। पुरानी पेंशन स्कीम को खत्म कर दिया गया है जिससे लोगों में भविष्य में कैसे जीवन यापन करेंगे एक अहम मुद्दा बन गया है। इससे सभी सरकारी कर्मचारी चिंतित है। पेंशन के सहारे कर्मचारी शेष जीवन को सम्मान पूर्वक निर्वहन कर लेते थे किंतु केंद्र की "नव-उदारवादी नीतियों" ने देश की सिविल सेवा को भी गहरे संकट में डाल दिया है। नई आर्थिक नीति ने सिविल सेवा के आकार को कम करते हुए, सभी क्षेत्रों से सरकार की वापसी को निर्धारित किया। "आउटसोर्सिंग, अनुबंध और निजीकरण बढ़ रहे हैं। लाखों पद खाली पड़े हैं, जिससे मौजूदा कर्मचारियों के लिए असहनीय काम का बोझ पैदा हो रहा है। सरकारी कर्मचारियों के लिए परिभाषित लाभ पेंशन योजना, या ओपीएस, लाभार्थियों से किसी भी आर्थिक योगदान के बिना एक अच्छी तरह से निर्मित और श्रेणी में सर्वश्रेष्ठ सामाजिक सुरक्षा योजना थी। निजीकृत पेंशन योजना अब नव-उदारवादी वैश्वीकरण का सबसे प्रमुख आर्थिक हमला है जिसने दुनिया भर के श्रमिकों और कर्मचारियों को अपनी चपेट में ले लिया है। वर्तमान में केंद्रीय सिविल सेवा में 10 लाख से अधिक पद खाली पड़े हैं। कई राज्यों में स्वीकृत पदों में से लगभग आधे अनुबंधित/आउटसोर्स/दैनिक वेतन भोगी कर्मचारियों द्वारा भरे गए हैं। अंतिम श्रेणी के पदों को पूरी तरह से समाप्त कर दिया गया और उच्च पदों पर भी संविदा नियुक्तियां की गई है। जिस तरह से पुरानी पेंशन की बहाली पंजाब, हिमाचल प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़ जैसे अन्य राज्यों ने बहाल कर दी ठीक उसी तरह केंद्रीय कर्मचारियों और उत्तर प्रदेश में भी पुरानी पेंशन को बहाल किया जाए। उत्तर प्रदेश के राज्य कर्मचारी कई सालों से आंदोलन कर रहे हैं और लगभग सभी सांसदों तथा विधायकों को अपना ज्ञापन सौंप चुके हैं, लेकिन इस पर कोई कार्यवाही नहीं हुई है। मेरी सरकार से मांग है कि उत्तर प्रदेश सरकार को निर्देशित करें कि पुरानी पेंशन को बहाल किया जाए ताकि सभी कर्मचारी अपने जीवन को खुशहाली और सम्मान से जी सकें।

(चौबीस) एफसीआई के गोदामों को किराए पर दिए जाने की नीति की समीक्षा किए जाने की आवश्यकता

[अनुवाद]

श्री पी. आर. नटराजन (कोयम्बटूर): मैं सीडब्ल्यूसीआई.निजी पार्टियों को एफसीआई गोदाम किराए पर देने की केंद्र सरकार की प्रस्तावित मुद्रीकरण नीति के बारे में अपनी गहरी चिंता व्यक्त करना चाहता हूँ। यह नीति देश के लिए बहुत खतरनाक है।

इस बात कि आवश्यकता है कि बिना बर्बादी के खाद्यान्न की उपलब्धता और अपने देश के लोगों की खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित की जाए। सरकार द्वारा वार्षिक रूप से, खाद्यान्न के भंडारण के लिए निजी गोदामों को किराये पर लेने पर भारी खर्च किया जाता है। दीर्घावधि में, यदि यह किराया नीति लागू की जाती है, तो यह सरकार को विदेशी और निजी कंपनियों पर निर्भर रहने के लिए मजबूर करेगा, जिसमें किराए के लिए और भी अधिक खर्च होगा। मुद्रीकरण नीति से खाद्यान्नों की आपूर्ति खतरे में पड़ जाएगी, विशेष रूप से सार्वजनिक वितरण प्रणाली और खाद्य सुरक्षा विनष्ट हो जाएगी। इसलिए, मैं केंद्र सरकार से अनुरोध करता हूँ कि वह सी.डब्ल्यू.सी./निजी निगमों को एफसीआई गोदाम किराए पर देने के प्रस्ताव से बचें। इसके बजाय, मेरा दृढ़ता से सुझाव है कि सरकार को खाद्य भंडार की सुरक्षा के लिए एफसीआई गोदामों को सुदृढ़ करने पर ध्यान देना चाहिए। इससे बिना बर्बादी के खाद्यान्न भंडारण सुनिश्चित होगा और जनता के लिए खाद्यान्न आसानी से उपलब्ध होगा।

इसलिए, मैं केंद्र सरकार से आग्रह करता हूँ कि वह भारतीय खाद्य निगम (एफसीआई) के गोदामों को किराए पर देने के प्रस्ताव से बचने के लिए आवश्यक नीतिगत निर्णय ले और सरकार द्वारा प्रस्तावित मुद्रीकरण कार्यक्रम से भी बचें।

(पच्चीस] आदिवासी लोगों के लिए एक राष्ट्रीय आयोग का गठन किए जाने की आवश्यकता

[हिन्दी]

श्री नव कुमार सरनीया (कोकराझार): देश स्वतंत्र होने के बाद देश के आदिवासी क्षेत्र में बहुत से बड़े डैम के साथ हाइड्रो प्रोजेक्ट भी बनाये गए हैं और कुछ कुछ आदिवासी क्षेत्र को राष्ट्रीय उद्यान के रूप में घोषित किया गया है। इसके साथ ही विकास के लिए बहुत से आदिवासियों की जमीन का अधिग्रहण किया गया। लेकिन उसके बदले आदिवासी लोगों को उचित लाभ नहीं मिला, बेरोजगारी का सामना करना पड़ा व अन्य जगहों में प्रवर्जन करना पड़ा। इससे सम्पूर्ण आदिवासी समाज को बहुत बड़ा नुकसान झेलना पड़ा।

इसलिए मेरी मांग है कि इस विषय पर एक राष्ट्रीय आयोग गठित करके सर्वे किया जाना चाहिए ताकि आदिवासी को देश की मुख्यधारा में जोड़ने के लिए, उनको सशक्त करने के लिए क्या-क्या सकारात्मक कदम उठाये जाने चाहिए, उसका पता चल सके और उसे अमल में लाया जा सके।

[हिन्दी]

माननीय सभापति : कृपया, आप लोग अपनी-अपनी सीट पर जाकर बैठिए।

… (व्यवधान)

माननीय सभापति : हाउस को चलने दिया जाए।

… (व्यवधान)

माननीय सभापति : कृपया, आप लोग अपनी-अपनी सीट पर जाकर बैठिए।

… (व्यवधान)

माननीय सभापति : कृपया बैठिए।

… (व्यवधान)

माननीय सभापति : कृपया, आप लोग अपनी-अपनी सीट पर जाकर बैठिए।

… (व्यवधान)

माननीय सभापति : हाउस चलने दिया जाए।

… (व्यवधान)

माननीय सभापति : कृपया, हाउस चलने दिया जाए।

… (व्यवधान)

माननीय सभापति : सभा की कार्यवाही गुरुवार, दिनांक 06 अप्रैल, 2023 को प्रात: 11 बजे तक के लिए स्थगित की जाती है।

अपराह्न 02.07 बजे

तत्पश्चात् लोक सभा गुरुवार, 6 अप्रैल, 2023 / 16 चैत्र, 1945 (शक) के पूर्वाह्न ग्यारह बजे तक के लिए स्थगित हुई।

<u>इंटरनेट</u>

लोक सभा की सत्रावधि के प्रत्येक दिन के वाद-विवाद का मूल संस्करण, अंग्रेजी संस्करण और हिन्दी संस्करण भारतीय संसद की निम्नलिखित वेबसाइट पर उपलब्ध हैं*:*

https://sansad.in/ls

लोक सभा की कार्यवाही का सीधा प्रसारण

लोक सभा की संपूर्ण कार्यवाही का संसद टी.वी. चैनल पर सीधा प्रसारण किया जाता है। यह प्रसारण सत्रावधि में प्रतिदिन प्रातः 11.00 बजे लोक सभा की कार्यवाही शुरू होने से लेकर उस दिन की कार्यवाही समाप्त होने तक होता है।

© 2023 प्रतिलिप्यधिकार लोक सभा सचिवालय

लोक सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन संबंधी नियमों (सत्रहवां संस्करण) के नियम 379 और 382 के अन्तर्गत प्रकाशित